बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–05 / निदे0 (प्रवे0 छात्रवृत्ति)–16–06 / 2020– 528

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा
सरकार के सचिव

सेवा में,

सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक–18/02/21

विषयः–अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नये फंडिंग पैटर्न पर राज्य सरकार की सहमति के संबंध में।

प्रसंगः–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं0–14011 / 04 / 2019–SCD-V दिनांक–23.12.2020 तथा मंत्रालय द्वारा निर्गत प्रारूप मार्गदर्शिका।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र एवं प्रारूप मार्गदर्शिका द्वारा अनु0 जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में लागू प्रतिबद्ध देयता के सिद्धांत के स्थान पर केन्द्र एवं राज्यों के मध्य में योजनान्तर्गत व्यय किये जाने वाले राशि को 60 : 40 के अनुपात के आधार पर वहन किये जाने का प्रावधान है। साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 90 : 10 के अनुपात का प्रावधान किया गया है।

2. उक्त के आलोक में नये फंडिंग पैटर्न के तहत 60 : 40 के अनुपात के प्रावधान के स्थान पर बिहार राज्य के लिए भी पूर्वोत्तर राज्यों के अनुरूप 90 : 10 (केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत) करने के प्रस्ताव के साथ मार्गदर्शिका पर राज्य सरकार द्वारा नीतिगत सहमति प्रदान की जाती है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन
18.2.21
सरकार के सचिव

E/Let/Aks 93